निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास के विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

8439. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन गत वर्ष निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में प्राप्त हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उनको क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय के संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, भारत सरकार के संगठन एवं इसके कार्यविधि पर इसने प्रतिवेदन के अध्याय VII में आयोग ने तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय, को मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के एक नये मंत्रालय के बनाने का सुझाव दिया था । इस अध्याय में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

8440. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सरकार को प्रत्यक्ष करों के विषयक मामलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या LT—3401/70**]**

Introduction of Letter-of Credit System in S. B. I

8441. SHRI VALMIKI CHOUDHARY: SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that State Bank of India has proposed to Government to start the letter-of credit system with the Bank for prompt payment to Government creditors ;

(b) if so, whether Government are considering this proposal ; and

(c) if so, by what time the decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) As the suggestion involves changes in the Government accounting and financial procedures, a working group comprising representatives of concerned Ministries, the Reserve Bank of India, Directorate General Supply and Disposal and the Comptroller & Auditor General of India is being constituted to go into the

matter. The question will receive further consideration on receipt of the group's report.

Recommendations made by Medical Council of India

8442. SHRI VALMIKI CHOUDHARY:
SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Annual Meeting of Medical Council of India was held recently at Delhi;

(b) the main recommendations made by the Council to Government:

(c) whether it is a fact that the Council has complained to Government about non-implementation of the various recommendations made from time to time by the Council in the interest of Medical Education;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reasons which were responsible for non-implementation of these recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) Yes.

(b) and (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3402/70].

(c) and (e). An observation to this effect was made in the Presidential Address at the annual meeting of the Council. The recommendations of the Council are not binding on Government who have the right to ask the Council to reconsider matters in the interest of the community at large.

सरकारी मकानों के अलाटियों के विक्रय अनुमति देने में विलम्ब

8443. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बनाये गये मकानों के अलाटियों के लिये मकान बेचने के लिये सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा बहुत देर के बाद विक्रय अनुमति दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बहुत-सी बार एक वर्ष या इससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद विक्रय अनुमति दी जाती है ;

(घ) विक्रय अनुमति के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो गत चार महीनों में विचाराधीन हैं ; और

(ङ) इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां, उन मामलों में जहां पट्टे विलेख में पट्टेदाता की पूर्व अनुमति की व्यवस्था है ।

(ख) और (ग). उन मामलों में देर होती है जहां पट्टेधारियों द्वारा या तो पूरी सूचना/दस्तावेज नहीं दिये जाते या जहां परिसरों में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होता है । ऐसे मामलों का तब तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित पक्षों द्वारा पट्टे